



प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठण्ड के कारण फसलों पर पाला पड़ने का दौर शुरू हो गया है। तापमान में भारी गिरावट के कारण जयपुर के बाहरी इलाकों में पेड़-पौधों पर सुबह-सुबह बर्फ जमी हुई दिखाई देने लगी है। रोज-रोज पाला पड़ने से किसानों की चिंतायें अत्यधिक बढ़ गई हैं। फसलों एवं पत्तों पर जमी बर्फ यूं तो देखने में काफी रोचक व आकर्षक लगती है लेकिन इसका फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कई स्थानों पर मिट्टी व अन्य मसालों की पौधा को बचाने के लिए लगाये गये ग्रीन हाउस कवर पर भी बर्फ जम गई है। ऊपर दिए चित्र में सीकर रोड हरमाड़ा का एक किसान अपने खेत में फूलगोभी के पत्ते पर जमी हुई बर्फ दिखा रहा है।

‘ऐसी मानसिकता वाला अधिकारी ए.सी.बी. का मुखिया रहने लायक नहीं’

कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री भरत सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर कहा

जयपुर, 5 जनवरी (का.प्र.)। एंटी करप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) के नए कार्यवाहक महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी की ओर से भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए आरोपियों और संदिग्धों की पहचान उजागर नहीं किए जाने के आदेश के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री और सांगोद के विधायक भरत सिंह ने भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया है। भरत सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस आदेश को भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाला कदम बताया है। सांगोद विधायक भरत सिंह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पहले भी मोर्चा खोलते आए हैं। अब उन्होंने हेमंत प्रियदर्शी के आदेश पर ही सरकार को घेरते हुए अशोक गहलोट को लिखा है कि ये आदेश भ्रष्टाचारियों को संरक्षण प्रदान करने जैसा है। ऐसी मानसिकता वाला अधिकारी प्रदेश की ए.सी.बी. का

- उन्होंने ए.सी.बी. के नए कार्यवाहक महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी के आदेश को भ्रष्टाचारियों का हितैषी बताया।
- भरत सिंह ने कहा कि यह अधिकारी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ की नीति को चुनौती दे रहा है।

मुखिया रहने लायक नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोट को पत्र में लिखा है कि, यह सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को ही चुनौती दे रहा है। ऐसे अधिकारी की जगह किसी अच्छे इमानदार अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जाए। विधायक भरत सिंह भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने की मांग पहले भी कई बार उठा चुके हैं। उन्होंने मांग उठाई है कि भ्रष्टाचारियों की फोटो की होर्डिंग्स लगाई जाये। इन्हें

सार्वजनिक चौराहे पर प्रदर्शित किया जाए। इसके साथ ही इन भ्रष्टाचारियों का जिस जिले से संबंध है, उस जिले के कलेक्टर और सरकारी दफ्तरों में भी उसके बड़े-बड़े फोटो लगाए जाएं। इससे रिश्तत लेने वाले कार्मिकों में डर बैठेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जयपुर स्तर के अधिकारियों की फोटो सचिवालय में भी प्रदर्शित की जाये, ताकि भ्रष्टाचार करने से पहले यह अधिकारी एक बार पहले सोचें।

दिल्ली एन.सी.आर. में भूकम्प के तेज झटके

नई दिल्ली, 5 जनवरी। नेशनल कैपिटल रीजन (एन.सी.आर.) और आस-पास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।

इसके अलावा कश्मीर में भी धरती हिली है। कश्मीर में आए भूकंप की रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6 मापी गई है। कश्मीर में आए भूकंप का केंद्र हिंदू कुशा क्षेत्र, अफगानिस्तान बताया जा रहा है। ये भूकंप इतना तेज था कि पाकिस्तान के लाहौर और इस्लामाबाद

- भूकंप का केंद्र हिंदू कुशा क्षेत्र, अफगानिस्तान में बताया जा रहा है।

समेत कई शहरों में भी झटके महसूस किए गए हैं।

दिल्ली-एन.सी.आर. में 7 बजकर 56 मिनट पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए। जिसके बाद लोग अपने घरों के बाहर निकल आए और मैदान में जमा हो गए। भूकंप की वजह से लोगों के बीच डर का माहौल है लेकिन अभी तक किसी अनहोनी की खबर सामने नहीं आई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं।

‘ए.सी.बी. का आदेश वापस नहीं होने तक सदन नहीं चलने देंगे’

भाजपा ने सरकार को विधानसभा का सत्र ठप्प करने की चेतावनी दी

जयपुर, 5 जनवरी (का.सं.)। ए.सी.बी. के नए कार्यवाहक डीजी ने ट्रेप की कार्रवाई में आरोपी की पहचान उजागर करने पर रोक लगा दी है। इसे लेकर भाजपा ने सरकार को घेरा है। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो विधानसभा का सत्र नहीं चलने देंगे।

ए.सी.बी. ट्रेप के आरोपी की पहचान उजागर नहीं करने के फरमान पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की गहलोट सरकार ठगी और वादाखिलाफी के लिए कुख्यात हो चुकी है। उसने किसानों और नौजवानों से वादाखिलाफी की। जोरी टॉलरेंस और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कहने वाली अशोक गहलोट सरकार ने एक तुगलक की फरमान जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि यह आदेश भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री के

- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पुनिया ने कहा, राजस्थान में आकाश से पाताल तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है।
- विधानसभा में विपक्ष के उप नेता राजेन्द्र राठौड़ ने मु.मंत्री गहलोट पर आरोप लगाया कि, वे इस काले आदेश की तरफदारी कर रहे हैं।
- यह सारा विवाद ए.सी.बी. के नए कार्यवाहक डी.जी. के आदेश पर उठा है, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपी की पहचान तब तक उजागर करने पर रोक लगा दी है, जब तक अदालत में वह दोषी साबित नहीं हो जाता।

कार्यक्रम में पब्लिक डोमेन में स्वीकार किया गया कि तबादलों के लिए रिश्तत ली जाती है। राजस्थान में ए.सी.बी. की कार्रवाई का उल्लेख करें तो लगभग प्रतिवर्ष 600 मामले निशाने पर आते हैं। कांग्रेस शासन में कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं होता हो, ऐसा लगता है कि राजस्थान में पाताल से लेकर आकाश तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि कार्यवाहक डीजी ने जो आदेश जारी किए हैं, ये उन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम है, जो ट्रेप में पकड़ा जाता है। मौके के साक्ष्य जुटाने के बाद ही कार्रवाई होती है। ऐसे में जब तक ऐसे भ्रष्टाचारियों की फोटो और पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा, तब तक उसके प्रति घृणा कैसे आएगी।

उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोट को गृह विभाग के मुखिया भी है, द्वारा ए.सी.बी. के नए आदेश को लेकर पाली में दिए गए बयान की आलोचना करते हुए कहा कि 4 जनवरी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों को ट्रेप करने के बाद नाम और फोटो जारी नहीं करने का नया आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है और इस आदेश के जारी होते ही आमजन से लेकर लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ इसकी कड़ी भर्त्सना कर रहा है लेकिन हेराजी के कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोट इस काले आदेश की तरफदारी कर रहे हैं। नये आदेश के बाद अब प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी अब बेखोफ होकर भ्रष्टाचार को अंजाम देंगे और ए.सी.बी. के सहारे सरकार उनकी ढाल बनकर कार्य करेगी। सरकार भयभीत है कि भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम व फोटो सार्वजनिक होने के बाद कहीं सरकार के काले कारनामों की पोल ना खुल जाये।

राठौड़ ने कहा कि जब बिना पूर्ण प्रमाणीकरण के आरोपी को नामजद करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से जारी की जा रही है, तो पूर्ण प्रमाणीकरण के पश्चात राशि सहित रंगे हाथों पकड़े गए आरोपी का नाम उजागर करने में क्या आपत्ति हो सकती है?

विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने चार साल में जो भ्रष्टाचार किया है, उसमें अधिकारी भी लिए हैं। सरकार इस आदेश के माध्यम से इन भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रही है। भाजपा इसका विरोध करेगी। जन आक्रोश सभ में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। जब तक इस फरमान को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक विधानसभा नहीं चलने देंगे।

‘नामांकन पत्र...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हाउसिंग लोन दिया था। वहीं चुनाव के कुछ महीने बाद से ही उन्हे लोन की किस्त चुकाना बंद कर दिया। इसी दौरान याचिकाकर्ता कंपनी को पता चला कि कागजी ने विधायकसभा चुनाव के लिए भरे नामांकन पत्र में भी अपनी लोन की जवाबदेही की जानकारी नहीं दी और यह तथ्य नामांकन पत्र में छिपाया। ऐसे में कागजी ने चुनाव के लिए भरे नामांकन पत्र के साथ विदेशी पत्र में जानबूझकर लोन की जानकारी को छिपाया और गलत तथ्य दिया। कंपनी ने इस संबंध में 8 जुलाई 2022 और 3 अगस्त को राज्य के सीएसए व भारतीय निर्वाचन आयोग की भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

सम्मद शिखर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नाराज जैन समुदाय का सम्मान सुनिश्चित करने के सभी कदम उठाए। मंत्रालय ने कहा कि पर्यटन की अनुमति दिए जाने से जैन धर्म के अनुयायियों पर विपरित असर पड़ेगा। केन्द्रीय मंत्री भूपिन्दर यादव की जैन समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक मीटिंग के बाद अधिसूचना पर रोक लगा दी गई, लेकिन इससे पहले भी संभावित समाधानों पर चर्चा की गई। मंत्रालय के एक प्रेस नोट में कहा गया है कि स्थल की पवित्रता को बनाए रखने की जैन समुदाय की मांग पर मंत्री सहमत हो गए।

सम्मद शिखर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ही में जैन समुदाय के पवित्र तीर्थ स्थल श्री सम्मद शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से जैन समुदाय में भारी आक्रोश है। यह पार्थिव पर्वतराज जैन समुदाय की आस्था का प्रमुख केन्द्र है। पर्यटन मंत्रालय की ओर से श्री सम्मद शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से जैन समुदाय की आस्था को गहरा आघात लगा है। जैन धर्माभिव्यक्ति में इस धार्मिक, भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दे पर केन्द्र सरकार के रवैये के खिलाफ असंतोष व्यक्त है, साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में जैन समुदाय केन्द्र सरकार के इस निर्णय के विरोध में आंदोलनरत है। पायलट ने कहा कि जनभावना को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार का पर्यटन मंत्रालय सम्मद शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के निर्णय पर पुनः विचार करने का कष्ट करें।

राहुल गांधी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कमेटी के जैसलमेर आने की जानकारी आने के बाद जैसलमेर जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं यह अभी तय नहीं है, क्योंकि वे इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर बीच में जैसलमेर आना मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन जैसलमेर प्रशासन ने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं।

‘चीन को भारत की अहिंसा और करुणा के बहुमूल्य आदर्शों से सीख लेने की जरूरत है’

तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा, इससे 2.5 अरब लोगों में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में शांति व्याप्त हो जायेगी

तिरुवनंतपुरम, 5 जनवरी (वार्ता)। तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा का कहना है कि अगर चीन ‘अहिंसा और करुणा के आदर्शों में निहित प्राचीन भारतीय ज्ञान का पालन करता है, और दोनों देशों में ढाई अरब से अधिक लोग आंतरिक शांति विकसित करने के लिए काम करते हैं, तो इससे पूरे विश्व को लाभ होगा। मनोरमा इंटर बुक 2023 के एक विशेष लेख में 87 वर्षीय तिब्बती बुद्ध धर्म के आध्यात्मिक गुरु ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने कई क्षेत्रों में विशेष

रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, फिर भी जिस तरह बाहरी निरस्त्रीकरण आवश्यक है, आंतरिक निरस्त्रीकरण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस बारे में, मुझे वास्तव में लगता है कि अहिंसा और करुणा के बहुमूल्य आदर्शों में निहित शांतिपूर्ण ढंग से चीजों को समझने की अपनी महान परंपरा के कारण भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

उन्होंने कहा, ऐसा ज्ञान किसी एक धर्म से परे है और इसमें समकालीन समाज में एक अधिक एकीकृत और नैतिक रूप से स्थिर और जीवन के लिए आवश्यक तरीके को प्रोत्साहित करने की क्षमता है। इसलिए, मैं सभी को प्रोत्साहित करता हूँ कि वे करुणा और अहिंसा को विकसित करने की कोशिश करें।

दलाई लामा ने अपने लेख में स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि विश्व शांति प्राप्त करने के लिए लोगों को अपने भीतर मन की शांति की आवश्यकता है और यह भौतिक विकास और भौतिक सुख की खोज से अधिक जरूरी है।

चौदहवें दलाई लामा, जिन्हें तिब्बती लोग ‘ग्यालवा रिनपोछे’ के नाम से जानते हैं, ने कहा कि मनुष्य का अनिर्वाय स्वभाव दयालु होना है। उन्होंने कहा कि करुणा मानव स्वभाव का चमत्कार है, एक अनमोल आंतरिक संसाधन है और हमारे व्यक्तिगत कल्याण और समाज के भीतर सद्भाव दोनों की नींव है। जिस क्षण हम पैदा होते हैं, तब से हमारी मां हमारा ख्याल रखती है। इसलिए, बहुत छोटी उम्र से ही हम सीखते हैं कि करुणा सभी सुखों का मूल है।

चौदहवें दलाई लामा, जिन्हें तिब्बती लोग ‘ग्यालवा रिनपोछे’ के नाम से जानते हैं, ने कहा कि मनुष्य का अनिर्वाय स्वभाव दयालु होना है। उन्होंने कहा कि करुणा मानव स्वभाव का चमत्कार है, एक अनमोल आंतरिक संसाधन है और हमारे व्यक्तिगत कल्याण और समाज के भीतर सद्भाव दोनों की नींव है। जिस क्षण हम पैदा होते हैं, तब से हमारी मां हमारा ख्याल रखती है। इसलिए, बहुत छोटी उम्र से ही हम सीखते हैं कि करुणा सभी सुखों का मूल है।

भ्रष्टाचारियों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होते हैं। यदि किसी आईएएस, आईपीएस या एडीजी ने आर्डर निकाला तो वह हमारे आर्डर से बंधे हुए हैं, हम उनके आर्डर से बंधे हुए नहीं हैं। मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री भी इस आर्डर के पक्ष में नहीं होंगे। यह आर्डर चलने वाला नहीं है।

इधर इस आदेश के बचाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोट की ओर से दिए गए बयान पर सवाल उठ रहे हैं कि आधिकारिक अब मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने की क्या जरूरत पड़ गई। इससे पहले जब ए.सी.बी. की ओर से लगातार कार्यवाहियां हो रही थीं और भ्रष्टाचारियों के नाम तथा फोटो जारी हो रहे थे, तब उन्हें सही क्यों ठहराया जा रहा था ऐसे में सवाल उठता है कि पहले ए.सी.बी. के डीजी बीएल सोनी की ओर से भ्रष्टाचारियों के नाम और पहचान उजागर करना क्या गलत था या फिर वर्तमान कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी ओर से निकाला गया आदेश गलत है।

हरियाणा के मु.मंत्री...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रशासनिक इकाई इस मुद्दे का कोई भी समाधान ढूँढने को तैयार नहीं है। खट्टर ने कहा कि वाटर शेयरिंग, जिसे लेकर अलग से एक ट्रायब्यूटल गठित किया गया है, पर चर्चा करने के बजाए पंजाब के मुख्यमंत्री और उनका प्रशासन बार-बार यह कह रहे हैं कि उनके राज्य में पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि जल का वितरण ट्रायब्यूटल की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक को स्वीकार नहीं कर रही है, जिसमें पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2004 में लाए गए अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। खट्टर ने आगे बताया कि ‘पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वर्ष 2004 का एक्ट अब भी अस्तित्व में है, जो पूर्णतया असंवैधानिक है।’

उन्होंने कहा कि यह तथ्य सर्वविदित है कि सुप्रीम कोर्ट के दो

निर्णयों के बावजूद पंजाब ने एस.वाय.एल. का निर्माण पूर्ण नहीं किया है। शीर्ष अदालत के निर्णयों पर क्रियान्वयन करने के बजाए पंजाब ने वर्ष 2004 में ‘कैन्सेलेशन ऑफ एग्रिमेंट्स एक्ट’ लागू कर नहर के निर्माण में रोड़े अटकाने की कोशिशें कीं। आपको बता दें कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के प्रावधान के अंतर्गत और 24 मार्च 1976 के भारत सरकार के यह आदेश के अनुसार रावी-व्यास नदियों का 3.5 एम.ए.एफ. सरप्लास जल हरियाणा को आवंटित किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि एस.वाय.एल. नहर का निर्माण पूर्ण ना होने की वजह से हरियाणा सिर्फ 1.62 एम.ए.एफ. जल राशि का ही उपयोग कर रहा है। पंजाब अपने पक्ष में एस.वाय.एल. नहर का निर्माण पूर्ण ना कर हरियाणा के हिस्से का 1.9 एम.ए.एफ. जल अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहा है।

रेलवे की भूमि से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तो करनी ही होगी। यहाँ पूरी की पूरी बरतियाँ बसी हुई हैं। इनसे इस जमीन को सात दिन में खाली करने के लिये कैसे कहा जा सकता है।

इस केस के मानवीय पक्ष का जिक्र करते हुये, जज ने कहा: ‘यह मानते हुये भी कि यह जमीन रेलवे की है, इनके पुनर्वास की स्थापना तो करनी ही पड़ेगी। आप उन लोगों से कैसे निपटेंगे, जिन्होंने जमीन नीलामी में खरीदी थी?’

न्यायमूर्ति ओका ने कहा, ‘यह कह देना सही नहीं होगा कि जो लोग वहाँ दशकों से रह रहे हैं, उन्हें वहाँ से हटाने के लिये, अर्द्धसैनिक बलों को काम में लेना पड़ेगा।’

पेडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ऐश्वर्य भाटी ने कहा कि राज्य सरकार और रेलवे इस बात पर एकमत हैं कि यह जमीन रेलवे की है।

भाटी ने यह भी कहा कि पब्लिक प्रेमिसेज एक्ट के तहत, बेदखली के अनेक आदेश दिये जा चुके हैं। वादियों की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि वे एक्स पार्टी आर्डर थे, तथा कोविड के दौरान दिये गये थे।

कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत हुये, वरिष्ठ एडवोकेट डॉ. कालिन गॉन्जाल्वेस ने कहा कि इस जमीन पर आजादी के पहले से ही याचिकाकर्ताओं के परिवारों का कब्जा है तथा उनके पास उनके पक्ष में जारी सरकारी लीज भी है। ए.एस.जी. भाटी ने जोर देते हुये कहा कि यह जमीन रेलवे फेसिलिटीज विकसित करने के लिये आवश्यक है। उन्होंने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि हददानी उत्तराखण्ड रेल ट्रेफिक के प्रवेश द्वार के रूप में है।

उनसे कह दिया गया कि इस

क्षेत्र में रह रहे लोगों का पूरा पुनर्वास किया जाना जरूरी है। अदालत ने इस जमीन के आगे और किसी निर्माण एवं विकास पर रोक लगा दी।

अदालत को बताया गया कि इस जमीन पर रहने वाले लोगों के नाम नगरपालिका के रिकॉर्ड्स में हैं तथा वे सालों से नियमित रूप से गृह-कर अदा कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पाँच सरकारी स्कूल, एक अस्पताल तथा दो पानी की टंकियाँ हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्टे आर्डर में कहा: ‘रेलवे की जरूरत को देखते हुये जिनके पास वहाँ रहने का अधिकार है/नहीं है, को वहाँ से हटाने के लिये पुनर्वास की योजनाओं के जरिये, कोई व्यावहारिक व्यवस्था किया जाना जरूरी है तथा इस प्रकार की पुनर्वास योजनाएँ पहले से ही अस्तित्व में हैं।’

तीन रूसी नागरिकों की ओडिशा में मौत की जांच करायेगा विदेश मंत्रालय

ओडिशा तट पर तीसरे रूसी नागरिक की मौत के बाद मामला गरमा गया

भुवनेश्वर, 5 जनवरी। ओडिशा के तट के पास एक तीसरे रूसी नागरिक की मौत का मामला गरमा गया है। इस घटना के 2 दिन बाद, विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि हम देश में हाल ही में मारे गए तीनों रूसी नागरिकों की मौत को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सभी मामलों में जांच चल रही है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ओडिशा में रूसियों की मौत की जांच की जा रही है। अब हमें ओडिशा के तट से दूर एक रूसी नाविक की मौत के बारे में पता चला है। औपचारिकताओं के लिए उसका शव

- ओडिशा तट पर बीते दो दिनों में तीन रूसी नागरिकों की लाश पाई गयी है।

बुधवार को जो लाश मिली है वह भी एक रूसी नागरिक ही है तथा ओडिशा में एक नाविक अभियंता के तौर पर काम कर रहा था।

पारादीप बंदरगाह लाया गया है। मैं नहीं चाहूंगा कि तीनों मामलों को एक साथ जोड़ा जाए या देखा जाए।

उन्होंने कहा, भारत एक बड़ा देश है जहाँ बड़ी संख्या में विदेशी आते हैं। मौतों के हालात पर ओडिशा सरकार द्वारा चल रही जांच के बीच तीनों मामलों को जोड़ने

का कोई कारण नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये बयान तीसरे रूसी नागरिक की मौत के बाद आया है जो एक मालवाहक जहाज में मुख्य अभियंता के रूप में काम कर रहा था और इस हफ्ते ओडिशा के तट पर मृत पाया गया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये बयान तीसरे रूसी नागरिक की मौत के बाद आया है जो एक मालवाहक जहाज में मुख्य अभियंता के रूप में काम कर रहा था और इस हफ्ते ओडिशा के तट पर मृत पाया गया था।

पुलिस ने कहा कि समुद्री पुलिस अन्य वैधानिक अधिकारियों के साथ मिलकर जांच के मौके को रूसी नागरिक की मौत की जांच करेगी और उसके बाद ही आखिरी रिपोर्ट सामने आएगी। गौरतलब है कि 24 दिसंबर को एक होटल की तीसरी मंजिल से कथित तौर पर गिरने के बाद रूसी नागरिक पावेल एंटोव की मौत हो गई थी।

इसके अलावा एक अन्य रूसी नागरिक व्लादिमीर बिडेनोव की भी मौत हो चुकी है, जिस पर ओडिशा पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि ये मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई।